

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

गोजना भवन, नेपाल हाउस, डॉरण्डा, रीडी-834002 (झारखण्ड)

पत्रांक-02 / वि.1-104 / 2017-

राँची / दिनांक

प्रेषक,

गरिमा सिंह, भा.प्र.से.
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसंघिव,
राँची विश्वविद्यालय, राँची,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग,
सिदो कान्हू मुर्मु विश्वविद्यालय, दुमका,
नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू
कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा,
दिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद,
डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची,
जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर।

विषय:- राज्य के बी.एड. महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-25 के लिए रिक्त सीटों पर नामांकन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के संबंध में।

प्रसंग:- झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद, राँची का पत्रांक-1345 दिनांक-26.12.2023

महाशय / महाशया,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि राज्य के बी.एड. महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-25 के लिए रिक्त सीटों पर नामांकन विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया। उक्त नामांकन प्रक्रिया समाप्ति के बावजूद झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद, राँची के द्वारा सुधित किया गया है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कठिपथ महाविद्यालयों में लगभग 2288 सीटे रिक्त रह गई हैं। अतः उक्त रिक्त सीट एवं छात्रहित को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2022-24 की भाँति ही शैक्षणिक सत्र 2023-25 के लिए काउसिलिंग के बाद रिक्त सीटों पर नामांकन हेतु निम्नांकित कार्रवाई करने का दिशा-निर्देश दिया जाता है:-

(क) माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में रिक्त सीटों को भरने हेतु दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए JCECEB, Ranchi द्वारा तैयार किये गये अभ्यर्थियों के मेरिट लिस्ट में से जिन अभ्यर्थियों ने नामांकन करा लिया है, उन्हें छोड़कर शेष अभ्यर्थियों के मेरिट लिस्ट को Waiting-list (Deemed) मानते हुए मेरिट एवं राज्य सरकार के अद्यतन आरक्षण नियम का पालन करते हुए नामांकन हेतु Wait listed अभ्यर्थियों को सीधे इच्छुक बी.एड. महाविद्यालयों में कोटिवार रिक्त सीटों के विरुद्ध मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन की छूट दिया जाए।

(ख) नामांकन प्रक्रिया पालन करते हुए राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में लगातार 03 दिनों तक (हिन्दी एवं अंग्रेजी) संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर Wait listed अभ्यर्थियों को इसकी सूचना दी जाए। 07 दिनों के अंदर अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार संबंधित बी.एड. महाविद्यालय में आवेदन CML ranking के साथ समर्पित करेंगे। प्राप्त आवेदनों के

आधार पर प्रत्येक बी.एड. महाविद्यालय मेरिट लिस्ट के अनुसार नामांकन सूची निर्गत करते हुए इसके आधार पर अगले एक सप्ताह में नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) उपर्युक्त नामांकन के बाद भी यदि किसी अभ्यर्थी का नामांकन अपने इच्छानुसार संस्थान में नहीं हो पाता है और किसी अन्य महाविद्यालय में सीट रिक्त है, तो वह एक सप्ताह के अंदर किसी भी महाविद्यालय में नामांकन करा सकता है। इसके लिए CML ranking का अनुसरण आवश्यक नहीं होगा।

(घ) नामांकन प्रक्रिया के समय पारदर्शिता हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित रहेंगे।

(ङ) किसी स्तर पर गडबड़ी पाये जाने पर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि एवं संबंधित बी.एड. महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या दोषी माने जायेंगे।

(च) उक्त नामांकन में आरक्षण संबंधी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत अद्यतन संकल्प लागू होगा।

(छ) झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद, राँची का यह दायित्व होगा कि राज्य के बी.एड. महाविद्यालयों में नामांकन के प्रत्येक चरण की अद्यतन प्रतिवेदन संधारित करेंगे।

सुलभ संकेत हेतु झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद, राँची से प्राप्त विभिन्न विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कठिपय महाविद्यालयों में नामांकित एवं रिक्त सीटों की विवरणी संलग्न है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासमाजन

₹०/-

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-०२ / वि.१-१०४ / २०१७- २५

राँची/दिनांक- ०५।०१।२०२५

प्रतिलिपि-झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद, राँची को उनके पत्रांक-१३४५ दिनांक-२६.१२.२०२३ के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/12
(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

१२.०८